

**क्रमांक 4211220/निविदा/सर्कू./GST/2017/
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर**

रायपुर, दिनांक / / 2017

प्रति,

मुख्य अभियंता

1. महानदी परियोजना, रायपुर।
2. महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
3. हसदेव कछार, बिलासपुर।
4. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर।
5. हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर।

विषय :- विभाग में अनुबंधित कार्यों से जीएसटी की राशि के कटौती के संबंध में।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
का पत्र क्र. 4836/एफ-7/40/31/एस-2/2017 दिनांक 11.09.2017 एवं
पत्र क्रमांक 4913/एफ-7/40/31/एस-2/2017 दिनांक 14.09.2017

===00===

उपरोक्त विषय में शासन के संदर्भित पत्र के द्वारा निविदा फार्म-बी के निविदा प्रपत्र की कंडिका 2.17.1 एवं 2.17.3 (a), (b) & (c) में जी.एस.टी के परिप्रेक्ष्य में किये गये संशोधन की छायाप्रति संलग्न है।

शासन द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार फार्म-बी निविदा प्रपत्र में यथास्थान पर समावेश करने हेतु तत्काल कार्यवाही करना तथा संशोधित कंडिका 2.17.1 एवं 2.17.3 (a), (b) & (c) के अनुसार निविदाओं का आमंत्रण जारी करना सुनिश्चित करें।

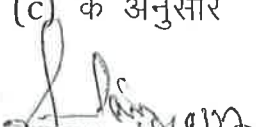
सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 4211220/निविदा/सर्कू./GST/2017/14376 रायपुर, दिनांक 18/09/2017
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर शासन के संदर्भित पत्र के संदर्भ में सादर संप्रेषित।
2. समस्त अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर शासन के संदर्भ में उल्लेखित पत्र की छायाप्रति सहित अग्रेषित। संशोधित कंडिका 2.17.1 एवं 2.17.3 (a), (b) & (c) के अनुसार निविदाओं का आमंत्रण जारी करना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-02 हेतु)


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4836 / एफ-7 / 40 / 31 / एस-2 / 2017,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 11/09/2017

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
सिहावा भवन,
रायपुर, (छ.ग.)

विषय :- विभाग में अनुबंधित कार्यों से जीएसटी की राशि के कटौती के संबंध में।

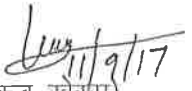
संदर्भ :- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर का पत्र क्र.-4211220/नि./सर्व.
/जीएसटी/2017/12455, दिनांक 09.08.2017.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा निविदा फार्म-बी के निविदा प्रपत्र की कंडिका-2.17.1 एवं 2.17.3 a,b & c में जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में आपके अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार संशोधन करता है :-

Sr.	Existing Provision	Amended Provision
1.	2.17.1 All dues regarding taxes including the Sales Tax, Octroi duties, etc. levied on the contractor's work by Government and local bodies or private individuals will be payable by the Contractor. The Water Resources department will grant a certificate for the quantities actually used on the work but will not entertain any claim on this account.	2.17.1 The financial bid offered by the contractor shall be inclusive of royalties, all direct and indirect taxes of central and state governments i.e., GST (Goods and Services Tax), income tax and cess and local taxes as applicable. The contractor shall have to pay all applicable taxes and cess for the performance of his contract. The government shall deduct such taxes at source as per applicable law. If any 'New Tax' (not increase or decrease in existing taxes, duties, royalties, cess and surcharge etc.) is levied on the contractor, the Engineer in charge shall reimburse the amount of such 'New Tax' on submission of proof of such payments of tax by the contractor.
2.	2.17.3(a) Income Tax at the rate of 2.32% (as per prevailing rules) from any sum payable to the Contractor shall at the time of credit of such sum or at the time of payment to the contractor by cash/cheque or draft or any other mode be deducted at the sources from its running/final or any type of payment for this contract as per section 194 of income tax act 1961	2.17.3(a) No change proposed
3.	2.17.3(b) (i) Vanijya Kar at the rate of 1.00% (One Percent) when the goods for use by him or purchased the within the state of Chhattisgarh. (ii) Vinikay Kar at the rate of 2.00% (Two Percent) when the goods for use by him or received/purchased from out side the state of the chhattisgarh	2.17.3(b) (i) & (ii) To be deleted
	2.17.3(c) Building & other construction workers sub tax-12% (One Percent) (as per prevailing rules) of the building & other construction workers sub tax will be deducted from the running bills/final bill, as per section 3 of building & other construction workers act 1996	2.17.3(c) No change proposed

2/ यह आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(याकुब खोस्ला)
संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर
प्रमाणित

पृ.क्र. 4837 / एफ-7 / 40 / 31 / एस-2 / 2017,

नया रायपुर, दिनांक 11/09/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, वित्त विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो पाइण्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
5. सचिव, छ.ग. सिंचाई परियोजना मण्डल, कार्यालय, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर।
6. परियोजना निर्देशक, छ.ग.सिंचाई विकास परियोजना, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर।
7. ✓ मुख्य अभियंता (मानिट्रिंग), कार्यालय, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
8. समस्त मुख्य अभियंता.....परियोजना / कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12 SEP 2017

आवक क्रमांक 6137
दिनांक 12/9/17

11/9/17
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर
12/9/17

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4913 / एफ-7 / 40 / 31 / एस-2 / 2017,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 14/09/2017

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
सिहावा भवन,
रायपुर, (छ.ग.)

विषय :- विभाग में अनुबंधित कार्यों से जीएसटी की राशि के कटौती के संबंध में।
संदर्भ :- शासन का पत्र क्र.-4836 / एफ-7 / 40 / 31 / एस-2 / 2017, दिनांक 11.09.2017.

-----00-----

शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक-4836 / एफ-7 / 40 / 31 / एस-2 / 2017, दिनांक 11.09.2017 द्वारा जारी आदेश में **Existing Provision** अंतर्गत कंडिका **2.17.3(c)** Building & other construction workers sub tax-12% (One Percent) (as per prevailing rules) of the building & other construction workers sub tax will be deducted from the running bills/final bill, as per section 3 of building & other construction workers act 1996 के स्थान पर **2.17.3(c)** Building & other construction workers sub tax-@1% (One Percent) (as per prevailing rules) of the building & other construction workers sub tax will be deducted from the running bills/final bill, as per section 3 of building & other construction workers act 1996 पढ़ा जाये।

(याकुब खेस्सा)
संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पृ.क्र. 4914 / एफ-7 / 40 / 31 / एस-2 / 2017,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 14/09/2017

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, वित्त विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो पाइण्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
5. सचिव, छ.ग. सिंचाई परियोजना मण्डल, एवं मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर।
6. परियोजना निर्देशक, छ.ग.सिंचाई विकास परियोजना, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर।
7. मुख्य अभियंता (मानिट्रिंग), कार्यालय, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
8. समस्त मुख्य अभियंता..... जल संसाधन विभाग

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

क्रमांक 6233
दिनांक 18/9/17

12 SEP 2017

(याकुब खेस्सा)
संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर